

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, 30प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30अप्रैल, 2019

विषय: सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोड़े जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0 ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, 30प्र0 ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0लखनऊ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, 30प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक:30 अप्रैल,का
संलग्नक

1- वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	
(2) पदनाम एवं वेतनमान	
(3) कार्यालय/ विभाग	
(4) जन्म तिथि	
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	
(8) अधिवर्षता की तिथि	
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	
(10) पदनाम एवं वेतनमान	
(11) कार्यालय / विभाग का नाम	
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	
(15) क्या पूर्व की सेवार्यें पेंशनेबल थी	
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीजनल/ नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां,तो विवरण दिया जायें। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां,तो विवरण दिया जाये।	
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां,तो -	
(I)व्यवधानों की अवधि तिथि सहित ।	
(II)व्यवधान का कारण	
(III)क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां,तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को इयूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां,तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये	
3- विभाग की संस्तुति	

हस्ताक्षर :-----

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिंकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची -

1-	50प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद -	
(1)	अनुच्छेद -361	अर्हकारी सेवा की शर्तें
(2)	अनुच्छेद -368	अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
(3)	अनुच्छेद -370	कार्यप्रभारित अधिष्ठान, कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना
(4)	अनुच्छेद -422	सेवाओं में व्यवधानों का मर्षण
2-	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	
(1)	सा-3-1152/दस-915-89 दिनांक 01.07.1989	अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2)	सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989	सामान्य दिशा निर्देश
(3)	सा-3-728/दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4)	सा-3-1984/दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001	सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना ।
(5)	सा-3-950/दस-2006-901/98 दिनांक 20.07.2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना ।

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

प्रेषक,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2016

विषय: एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

सरकारी सेवा में परिवीक्षाधीन नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को परिवीक्षा अवधि में अनुमन्य होने वाले वेतन एवं वेतन वृद्धियाँ विनियमित करने के प्राविधान सुसंगत सेवा नियमावलियों में उल्लिखित रहते हैं जो सामान्य रूप से अनेक सेवा नियमावलियों में इस प्रकार हैं :-

परिवीक्षा अवधि में वेतन-

(1). फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा

विनियमित होगा।

प्रायः अनेक सेवा नियमावलियों में परिवीक्षा अवधि में अनुमन्य वेतन की व्यवस्था उक्तवत विद्यमान है साथ ही आगामी वेतन-वृद्धि/वेतन-वृद्धियों की देयता के प्राविधान कुछ अन्तर के साथ विद्यमान हैं। सेवा नियमावली के उपर्युक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि यदि उनके अंतर्गत नियुक्त परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों या किसी पद को धारण कर रहा हो अर्थात् उसका किसी पद पर लियन हो तो उसका वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। उक्त प्राविधान से यह भी स्पष्ट है कि सरकारी सेवक को उस दशा में वेतन संरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं है जब वह पूर्व की सेवा में स्थायी न रहा हो अथवा उसका किसी पद पर लियन न हो, अतएव ऐसी स्थिति में उसे नियुक्ति के पद के वेतनमान का न्यूनतम सोपान का वेतन अनुमन्य होगा। जहाँ परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक पूर्व के किसी पद को धारण कर रहा हो अर्थात् उसका किसी पद पर धारणाधिकार हो अथवा वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो उस स्थिति में उसके वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 में पूर्व से विद्यमान है किन्तु यह प्रक्रिया दिनांक 01-01-2006 के पूर्व विद्यमान वेतनवृद्धि सहित वेतनमानों की संरचना के लिए है। दिनांक 01-01-2006 से जो वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी हुयी है उसके लिए विभिन्न नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया समय-समय पर शासनादेशों के अंतर्गत निर्धारित हो चुकी है किन्तु उक्त मूल नियम-22 के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में वेतन निर्धारण हेतु चूंकि वित्त विभाग के स्तर से कोई स्पष्टीकरण/मार्गनिर्देश निर्गत नहीं किया गया है अतएव इस प्रकार के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित समस्या के निराकरण हेतु मूल नियम-22 की विभिन्न परिस्थितियों में वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:-

(क). यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे नये पद पर होती है जो उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वाला है तो संबंधित सरकारी सेवक का नये पद पर वेतन निर्धारण किए जाने हेतु उसके पूर्व पद पर वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन को अपरिवर्तित रखते हुए उसे नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जायेगा। परन्तु जहाँ उसके पूर्व पद के वेतन बैंड का बैंड वेतन, नये पद के वेतन बैंड के वेतन के न्यूनतम से कम होगा वहाँ नये पद के वेतन बैंड का न्यूनतम बैंड वेतन एवं नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जायेगा।

उदाहरण के लिए-

(1). यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैंड ₹0 9300-34800 में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- है और इस कर्मचारी का वेतन बैंड ₹0 9300-34800 में बैंड वेतन ₹0 16600/- है, उसकी नियुक्ति वेतन बैंड ₹0 15600-39100 में ग्रेड वेतन ₹0 5400/- में होती है तो वेतन

बैण्ड रू0 15600-39100 में उसका बैण्ड वेतन रू0 16600/- यथावत रखते हुए उसमें ग्रेड वेतन रू0 5400/- जोड़कर वेतन निर्धारित होगा।

(2). इसी प्रकार यदि कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4800/- है परन्तु उसका वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में बैण्ड वेतन रू0 14600/- है और उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400/- में होती है तो उसके वेतन का निर्धारण नियुक्ति के वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 में न्यूनतम बैण्ड वेतन रू0 15600/- एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- को जोड़कर किया जायेगा।

(ख) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति समान वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में होती है तो नये पद पर वेतन बैण्ड में वेतन वही रहेगा जो उसे अपने पूर्व पद पर मौलिक वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति निम्न ग्रेड वेतन में होती है तो उसका वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन वही रहेगा जो उसे अपने पूर्व पद पर बैण्ड वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था किन्तु उसे ग्रेड वेतन निम्न पद के संदर्भ में प्राप्त होगा।

उदाहरण के लिए-

यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4800/- है और इस वेतन बैण्ड में उसका बैण्ड वेतन रू0 14600/- है एवं उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4600/- में होती है तो उस कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में बैण्ड वेतन रू0 14600/- यथावत् रखते हुए ग्रेड वेतन रू0 4600/- जोड़कर वेतन निर्धारित होगा।

(घ) उपरोक्त तीनों ही स्थितियों में वार्षिक वेतनवृद्धि की व्यवस्था निम्नवत् होगी:-

उक्तवत् वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से यदि वेतन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से लेकर अगले वर्ष की दिनांक 01 जनवरी तक निर्धारित किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक को अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। इसी प्रकार यदि किसी सरकारी सेवक का वेतन किसी वर्ष में दिनांक 02 जनवरी से दिनांक 30 जून तक अनुमन्य किया जाता है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई को देय होगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वेतन निर्धारण की निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

(क). संबंधित सेवा नियमावली में पहले से स्थायी सरकारी सेवा में होने की दशा में वर्तमान पद पर उसके संदर्भ में वेतन विनियमित किए जाने की व्यवस्था हो। पूर्व पद पर स्थायी न होने की स्थिति में वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं नये पद पर न्यूनतम वेतन ही प्राप्त होगा।

(ख). इस प्रकार वेतन निर्धारण का लाभ तभी देय है जब संबंधित सरकारी सेवक जिस पूर्व सेवा के पद पर स्थायी हो वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सेवा हो।

- (ग). पूर्व पद के जिस मौलिक वेतन के संदर्भ में वेतन निर्धारण किया जाना है, उसमें पूर्व पद के साथ किसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि/वैयक्तिक वेतन को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- (घ). संबंधित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व सेवा से अनापत्ति प्राप्त कर/विधिवत् अवमुक्त होकर ही नयी सेवा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया हो।
- (ङ). पूर्व सेवा से त्याग पत्र न दिया गया हो अथवा सेवामुक्त/पदच्युत न किया गया हो।
- (च). इस प्रकार के वेतन निर्धारण का लाभ शासन के प्रशासनिक विभाग के स्तर से अनुमन्य कराया जायेगा।
- (छ). परिवीक्षावधि में वेतनवृद्धि देने अथवा न देने/रोकने के संबंध में सेवा नियमावली में परिवीक्षा अवधि के संबंध में विहित प्रतिबन्धों को संज्ञान में लिया जायेगा, किन्तु जहाँ तक वेतनवृद्धि के लिये अर्हकारी सेवावधि का प्रश्न है, इस संबंध में उपरोक्त प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(घ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ज) सम्बन्धित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरान्तरण (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा था तो उक्त के सन्दर्भ में उसका वेतन निर्धारित नहीं किया जायेगा और इसके लिये पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- 4- केन्द्र सरकार से उ0प्र0राज्य सरकार की सेवा में आये कर्मियों के वेतन संरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या जी-2-673/दस-81/234-71, दिनांक 02 जुलाई, 1981 की व्यवस्था लागू होगी, जिसकी प्रक्रिया भी उपरोक्त प्रस्तर-2 एवं 3 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2016/जी-2-89(1)/दस-2016-1/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव